

असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

## PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 22181

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 23, 2013/आश्विन 1, 1935

No. 2218]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 23, 2013/ASVINA 1, 1935

#### शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली डिवीजन)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2013

- का.आ. 2890(अ).— जबिक केन्द्र सरकार ने दिल्ली मुख्य योजना-2021 में कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव किया है, जिन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (3) द्वारा यथा-अपेक्षित उक्त सूचना की तिथि से पैतालीस दिनों के अंदर आपत्तियाँ/सुझाव आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक सूचना के रूप में का.सं.आ. 1173(अ), दिनांक 9-5-2013 द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।
- 2. जबिक, प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में प्राप्त की गयी आपत्तियों/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गिठित किए गए जांच एवं सुनवाई बोर्ड द्वारा विचार किया गया था और दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक में उन्हें अनुमोदित भी किया गया था।
- 3. जबिक, केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली मुख्य योजना-2021 को संशोधित करने का निर्णय किया है।
- 4. अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतदद्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से निम्नलिखित संशोधन करती है :

# अध्याय-बार संशोधन इस प्रकार हैं:

अध्याय/क्र.सं.	दिल्ली मुख्य योजना – 2021 का पैरा/खंड/सारणी	संशोधन			
1. 2.		3.			
(क) अध्याय 4.0	) - आश्रय				
1.	पैरा 4.2.2.2 ख .	(क) निम्नलिखित सुविधाओं को संयुक्त सुविधा केन्द्र			
	अनधिकृत/नियमित	(500-1000 वर्ग मीटर) में शामिल किया जा			
	अनधिकृत कॉलोनियां	सकता है;			
		(i) बहुउद्देश्य समाज सदन -100 वर्ग मीटर			
		(ii) बस्ती विकास केन्द्र -100 वर्ग मीटर			
		(iii) धार्मिक स्थल -100 वर्ग मीटर			
		(iv) पुलिस चौकी -100 वर्ग मीटर			
		(v) स्वास्थ्य केन्द्र -100 वर्ग मीटर			
		(vi) पार्क /शिशु वाटिका -200 वर्ग मीटर			
		(vii) आवश्यक खुदरा दुकानों जैसे मिल्क ब्र्थ,			
		उचित दर दुकान, मिट्रटी के तेल की दुकान			
		आदि के लिए स्थान की व्यवस्था की जाए।			
1		(viii) अनौपचारिक व्यापार इकाइयों और साप्ताहिक बाजार की, जहां आवश्यक हो, व्यवस्था की जाए।			
		(घ) यदि, दिल्ली मुख्य योजना मानदण्डों के अनुसार पृथक सुविधा प्लॉट व्यवहार्य नहीं हैं तो सुविधाओं को सम्मिलित किया जा सकता है और उन्हें वास्तविकताओं और आवास आरक्षण (.आर.ए) की अवधारणा का प्रयोग करते हुए प्रदान किया जा सकता है।			
(ग) अध्याय ७.	० - उद्योग				
2.	अनुबंध - ॥: उद्योगों की	तथापि, पर्यावरण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली			
	निषिद्ध / नेगेटिव सूची	सरकार, उद्योग विभाग जीएनसीटीडी के परामर्श से सीपीसीबी द्वारा निर्धारित तथा डीपीसीसी द्वारा अपनाये गए पैरामीटरों/मानदण्डों के अनुसार उक्त सूची के अन्तर्गत आने			
		वाली विशेष गतिविधि/उद्योग/फेक्ट्री का निर्धारण करने हेतु			

		अंति	म निर्णय लेगा।				
	1. आर्क/इंडक्शन फर्नेस						
			38 फाउन्डरी (कुपोला फर्नेस)*				
			७ गाउँ उस रहुन 38. स्टेनलैस स्टीर				
		नोट:		त ।पपगलण			
				नार के फर्नेस को	•		
/ <del></del>		सापा	साबा आर डापासी	सी के नियत पैरा	मीटरों में होगा।		
(ग) अध्याय ७.		т					
3.	तालिका 9.2 के नीचे दी गई टिप्पणी: प्रतिवेश	क्र.					
	स्तर पर मनोरंजनात्मक	1 1 11					
	क्षेत्र/पार्कों के लिए	11		जनसंख्या/	भ्खंड क्षेत्र		
	आयोजना मानदण्ड एवं	11		यूनिट (लगभग)	(हेक्टेयर)*		
	मानक।	1.	प्रतिवेश पार्क*	10000	1.0		
	नागपग	2.	आवासीय क्षेत्र पार्क	5000	0.5		
		3.	आवासीय	250	0.0125		
			समूह स्तर पर				
			ਜૉਟ਼				
4.	तालिका 9.4 के नीचे दी	i) केन्	ोग विस्टा और विस्त	पत थेनों को सोनक्त	miss make alook si		
	गर्ड टिप्पणियां	ों i) केन्द्रीय विस्टा और विरासत क्षेत्रों को छोड़कर उपर्युक्त उपयोग परिसरे निम्नलिखित सुख—सुविधा संरचनाओं की अनुमित है : शौचालय ब्लॉक,					
	गर्भ (८०५) वा		द्युत कक्ष, गार्ड कक्ष, र		ः सावालय ब्लाक, पम्प		
.*			_	•			
		ii) सम् है।	नेलन केन्द्र और <b>प्रशा</b> र	<b>प्तिनेक</b> कार्यालय केवर	ल विरासत क्षेत्रों में अनुमेय		
•		iii) मल्टी जिम एक हैक्टेयर क्षेत्रफल वाले पार्कों में अनुमेय होंगे और उनका निर्मित क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर तक होगा।					
अध्याय १३.० सा	माजिक अवस्थापना		- 10 to 10 t	The second secon			
5.	तालिका 13.7 के नीचे दी	क्र.	श्रेणी	जनसंख्या/	भूखंड क्षेत्र		
	गई टिप्पणी: खेल	सं.		यूनिट	(हेक्टेयर)*		
	स्विधाओं के लिए			(लगभग)			
	मानदण्ड एवं मानक।	1.	डिविजनल खेल	10 ===			
		'	ाडावजनल खल केन्द्र/गोल्फ कोर्स	10 लाख	10 से 30 और		
		2			<u>उ</u> पर		
		2.	जिला न्यायालय	5 लाख	3 से 10		

			गामक्रीक होत	1 लाख	1 社 3
		3.	सामुदायिक खेल केन्द्र	ા ભાવ્ય	1 71 3
			प्रतिवेश खेल क्षेत्र	10,000	0.5 से 1
		<b>    4</b> .	प्रात्परा खल दात्र	10,000	0.5 4 1
		5.	आवासीय क्षेत्र	5,000	0.5
			खेल का मैदान		
		* भूमि	में की उपलब्धता के अध्यधीन		
		नोट:			
		i)	खेल सुविधाएं पर्याप्त पार्किंग सुविधाओं के साथ		
			उचित ले-आउट प्लान और लैण्ड स्केप प्लान के		
			अनुसार विकसि	त की जाएंगी	I
		ii)	मौजूदा खेल 3	वसंरचनाओं	का उन्नयन किया
			जाएगा और बे	हतर सुविधाग	एं मुहैया कराने के
			लिए कुशलतापूर्व	iक पुनः योज	ना बनायी जाएगी।
		iii)	_		नों और लैण्ड स्केप
	⊋e <sup>n</sup> - √		क्षेत्रों में नए खे	ोल के मैदान	उपलब्ध/विकसित
			किए जाएंगे।		
		iv)	खेल के मैदान और खेल सुविधाओं में पैदल और		
			साईकिल ट्रेक व	न नेटवर्क जह	हां कहीं व्यवहार्य हो.
			सुलभ कराया जाना चाहिए।		
		v)			ाफल वाले पार्को में ति क्षेत्रफल 225 वर्ग
			मीटर तक होगा	l	
6.	तालिका 13.17 के नीचे	टिप्पि	पणियां :		
	दी गई टिप्पणियां	i)	सामुदायिक म	नोरंजन क्लब	<b>गें के</b> मामले में,
			2000 वर्ग मीट	र से अधिक	व 5000 वर्ग मीटर
			से कम के क्षे	त्र पर 50 ए	फ आर.ए. स्वीकार्य
			होगा।		
		ii)	मनोरंजन क्लब	के मामले व	में, 5000 वर्ग मीटर
			से अधिक व 10	0,000 वर्ग मी	टिर तक के क्षेत्र पर
			50 एफ आर.ए.	स्वीकार्य होगा	I
		iii)	खुले क्षेत्रों में अ	गउटडोर खेलों	/क्रीडा सुविधाओं के
			•		मे मुक्त ३०० वर्ग
					नाल अनुमत होगा।
		iv)	बेंकट हॉल के ब	मामले में,	

		क. पार्किंग के लिए ग्रांउड आवरण		
		(ग्रांउड एन्वलेप) के भीतर बेसमेंट अनुमत		
		होंगे) पार्किंग के लिए स्टिल्ट फ्लोर अनुमत		
		<b>青</b> 1		
	,			
		ख. सेवाओं/भंडारण के लिए बेसमेंट क्षेत्रके 30		
	X	प्रतिशत को एफ.ए.आर. में शामिल नहीं		
		किया जाएगा।		
		v) अन्तर्राष्टीय सम्मेलन केन्द्र के मामले में,		
	7	प्रांगण की व्यवस्था करने के लिए अधिकतम		
		_		
		10 प्रतिशत ग्राउंड कवरेज की अनुमति होगी।		
		यदि प्रांगण के लिए अनुमेय अतिरिक्त ग्राउंड		
		कवरेज का उपयोग कर लिया हो, तो उपयोग		
		किए गए ग्राउंड कवरेज के 25 प्रतिशत को		
	•	एफ.ए.आर. में शामिल किया जाएगा।		
अध्याय 17.0 - वि	अध्याय 17.0 - विकास संहिता			
_	उप खण्ड/8 (2) की	'गांव की आबादी (लाल डोरा/फिरनी)' शब्दों के बाद <b>' और बढाए गए</b>		
7.	टिप्पणियां: उपयोग ज़ोनों	लाल डोरे ' शब्दों को निम्नानुसार शामिल किया जाए:		
	में उपयोग परिसरों की	(Vii) किसी उपयोग ज़ोन में स्थित गांव की आबादी (लाल डोरा / फिरनी) और बढ़ाए गए लाल डोरे का भूमि उपयोग आवासीय है।		
	अनुमति	नकार गर साल आर का पून उपयान आवासाव है।		

[फा. सं. 12011/9/2012-डीडी-]]

सुनील कुमार, अवर सचिव

# MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (Delhi Division) NOTIFICATION

New Delhi, the 23<sup>rd</sup> September, 2013

- **S.O. 2890(E).**—Whereas, certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2021 as part of its review exercise which were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice S.O.1173 (E) dated 09<sup>th</sup> May, 2013 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within forty-five days from the date of the said notice.
- 2. Whereas, objections/suggestions received with regard to the proposed modifications have been considered by the Board of Enquiry and Hearing, setup by the Delhi Development Authority and also approved at the meeting of the Delhi Development Authority.
- 3. Whereas, the Central Government has, after carefully considering all aspect of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

#### **CHAPTER-WISE MODIFICATIONS ARE AS UNDER:**

Chapter/S. No.	Para/Clause/Table of MPD-2021	Modifications			
1	2	3			
CHAPTER 4.0					
1.	Para 4.2.2.2 B. Unauthorised/ Regularised Unauthorised Colonies	(c) The following facilities can be clubbed in a composite facility centre (500-1000 sqm.)  (i) Multi-purpose community hall - 100 sqm.  (ii) BastiVikas Kendra - 100 sqm.  (iii) Religious site - 100 sqm.  (iv) Police Post - 100 sqm.  (v) Health Centre - 100 sqm.  (vi) Park/ShishuVatika - 200 sqm.  (vii) Area for essential retail outlets e.g., Milk Booth, Fair Price Shop, Kerosene shop, etc. may be provided.  (viii) Provisions for informal trade units and weekly market to be made, wherever necessary  (d) In case separate facility plots as per MPD norms are not feasible, the facilities may be clubbed and provided on the basis of ground realities and also by using the concept of Accommodation Reservation (AR).			
CHAPTER 7.0	-INDUSTRY				
2.	ANNEXURE-III: PROHIBITED/ NEGATIVE LIST OF INDUSTRIES	However, Environment Department, GNCTD in consultation with Industries department, GNCTD shall take the final decisions to ascertain a particular activity/industry/factory to fall under the said list as per the parameters/norms set by the CPCB and adopted by the DPCC.  1. Arc/Induction Furnace			
		Notes:  iii) *However, continuity of any type of furnace shall be within set parameters of CPCB & DPCC.			
CHAPTER 9.0	-ENVIRONMENT				
3.	Notes below Table 9.2: Planning Norms, Standards for Recreational Areas/Parks at	S. Category Planning Norms & Standards Population/ Plot			
	Neighbourhood Level	Unit Area (Approx.) (Ha)			
		1. Neighbourhood 10000 1.0 Park*			

		2.	Housing Are Park	ea 5000	0.5
		3.	Tot lot Housing Clust	at 250 er	0.0125
		*	Level	ld be permissible	in narka
			having an area (	of one ha. and we	
4.	Notes below Table 9.4	i)	<i>built up area up</i> The following	<i>to 225 sq.m.</i> amenity structi	
'	Notes below Table 3.4			above use premis	
	1	+ - i	in Central Vista	and Heritage are	as: Toilet
				om, Electric Roo	m, Guard
			Room, Equipment	Room, tre and Administra	tivo office
				in Heritage Areas.	
	7	iii) l	Multi-gyms woul	ld be permissible	in parks
				of one ha. and wo	ould have
CHAPTER 13	3.0-SOCIAL INFRASTRUCTURE		built up area upt	o 225 sq.m.	
5.	Notes below Table 13.7:	T	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	NOTE THE STATE OF	
	Planning Norms and	SI.	Category	Population/unit	Plot
	standards for Sports Facilities	No	•	(approx.)	Area
	racincies	1.	Divisional	10 lakh	(Ha.)*
	u ·		Sports	10 10 10	30 &
			Centre/Golf		above
		11_	Course		
		3.	District Court Community	5 lakh 1 lakh	3 to 10
		) J.	Sports Centre	1 lakn	1 to 3
·		4.	Neighbourhood Play Area	10,000	0.5 to
~		5.	Housing Area Play Ground	5,000	0.5
		* Su	bject to availabilit	y of land.	<u> </u>
,		Note			•
. ··*		i)		ities shall be o	
				roper layout p :h adequate parkin	lan and
*				rts infrastructure	
		· l	upgraded and	efficiently re-pla	
•			provide better faci		
				nall be preferably e vicinity of ed	
		i	nstitutions and la	ndscape areas.	acacionai
				nd sports facilities s	
				network of pedest	rian and
			cycle tracks where Multi-avms wo	ver reasible. <b>uld be permis</b> s	sible in
				n area of one	
			would have built	up area upto 22	
6.	Notes below Table 13.17	Note		mitus Doorenties-1	
				nity Recreational dissible on the area	
			2000 sqm. and be		a Deyond
		ii) I	n case of Recreat	ional Club, 50 FAR	
				area beyond 50	00 sqm.
		ā	ind upto 10,000 s	gm.	

		<ul> <li>iii) In the open area apart from outdoor games/sport facilities, swimming pool would be permissible uptoa area of 300 sqm. free from ground coverage.</li> <li>iv) In case of Banquet Hall, <ul> <li>a. Basements within the ground envelope shall be allowed for parking. Stilt floor for parking is permissible.</li> <li>b. 30% of basement area for services/storage shall not be counted in FAR.</li> </ul> </li> <li>v) In case of International Convention Centre, maximum 10% ground coverage shall be allowed for providing atrium. In case, the permissible additional ground coverage for atrium is utilized, 25% of the utilized ground coverage shall be</li> </ul>
CUADTED 17	O DEVELORMENT CODE	counted towards FAR.
7.	0-DEVELOPMENT CODE  Notes of the Sub/Clause 8(2) Permission of Use Premises in Use Zones	Insert the words 'and Extended Lal Dora' after the word 'Village Abadi (Lal Dora/firni)', as under:  (vii) Land use of Village Abadi (Lal Dora/firni) and Extended Lal Dora located in any use zone is residential.

[No. K-12011/9/2012-DD-I]

SUNIL KUMAR, Under Secy.